

प्रेषक,

संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक - 13/05/2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय-समय पर यथासंशोधित) तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में ₹13,30,00,000/- (तेरह करोड़ तीस लाख रु०) मात्र की राशि का Mother Sanction तथा राज्यांश में ₹13,30,00,000/- (तेरह करोड़ तीस लाख रु०) मात्र अर्थात् कुल ₹26,60,00,000/- (छब्बीस करोड़ साठ लाख रु०) मात्र की राशि की स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली भारत सरकार के पत्रांक-11014/2/2023-PCR दिनांक-28.04.2026 द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत केन्द्रांश में ₹13,30,00,000/- (तेरह करोड़ तीस लाख रु०) मात्र की राशि का Mother Sanction प्राप्त हुआ है। बजट उपबंध के आलोक में उक्त केन्द्रांश की राशि ₹13,30,00,000/- (तेरह करोड़ तीस लाख रु०) तथा राज्यांश में ₹13,30,00,000/- (तेरह करोड़ तीस लाख रु०) मात्र की राशि अर्थात् कुल ₹26,60,00,000/- (छब्बीस करोड़ साठ लाख रु०) मात्र की स्वीकृति दी जाती है।

2-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस स्वीकृत राशि से आवंटन जिलों को मांग के आलोक में निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा विमुक्त किया जायेगा।

3-उक्त राशि मांग सं०-44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघुशीर्ष-277-शिक्षा- उपशीर्ष-0221-नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989-विषय शीर्ष-C221.33.02-मुआवजा विपत्र कोड सं०-44-2225012770221" पी०एफ० एम०एस० कोड 9488 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

4- वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5295 दिनांक-09.05.2025 तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के O.M. दिनांक-13.07.2025 तथा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में राशि का व्यय SNA-SPARSH माध्यम से किया जाएगा।

5-इस योजना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/Implementing Agencies (IAs) संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/Implementing Agencies (IAs) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेंगे तथा व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

6-इस राशि से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 के नियम, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के पीड़ित/आश्रित को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि यथा: (i) अनुसूची और उपबन्ध-1[नियम-12(4)] में राहत राशि के लिए निर्धारित मापदण्ड दर पर राहत अनुदान, (ii) अधिनियम/नियम के तहत पेंशन (iii) पीड़ित को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि (vi) पीड़ित को राहत और पुनर्वास (vii) प्रचार-प्रसार (viii) जागरूकता (ix) पुलिस महानिरीक्षक (क०व०) के अधीन अनु० जाति और अनु० जनजाति संरक्षण कक्ष, आदि के आलोक में जाएगी।

7-अत्याचार राहत अनुदान की राशि वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-3808 दिनांक-02 जून, 2017 के आलोक में आधार (वित्तीय और सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 {Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and and other Susidies, Benefits and Services) Act, 2016} में गिहित प्रावधानों के तहत लाभुकों के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।

8-जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजेंगे। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

9-इन मदों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

10-इस स्वीकृति के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक-31.03.2027 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।

11-इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका 3/निदे0-पी0ओ0ए0(स्वी0 एवं आवं)-05-04/2026 के पृ0- /टि0 पर प्राप्त है।

12-इस राशि की स्वीकृति की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/निदे0-पी0ओ0ए0(स्वी0 एवं आवं)-05-04/2026 39

पटना, दिनांक-13/05/2026

प्रतिलिपि : 1-वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2-अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (क0 व0) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/ प्रभारी, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक(मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/निदे0-पी0ओ0ए0(स्वी0 एवं आवं)-05-04/2026 39

पटना, दिनांक-13/05/2026

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/निदे0-पी0ओ0ए0(स्वी0 एवं आवं)-05-04/2026 39

पटना, दिनांक-13/05/2026

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।